

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

.....
 नाम सावर मल बनाम मंजरी देवी
 किस्म मुकदमा अपील नम्बर 67/2018

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जं. इस हुकम की तारीख में जारी हुए |
|------------|--|---|
| 13/11/19 | <p>अपीलकर्ता व वकील अपीलकर्ता अगुपीछर/ वकील इन्फोर्टे अगुपीछर/ अपीलकर्ता व वकील अपीलकर्ता को करे कर आवाज लगवारी ठहरी/ अन्तिम आवाज 5:00 P.M कर लगवारी ठहरी कोइ उपस्थित नहीं आया ठहरी! यह अपील अदम हाजरी अदम पेशी में शरीज की जाती है परन्तु फिल शुमार होकर नम्बर ले कम है। कहत अदालत विचित्र सुचित्र है/ परन्तु बाद तकमील जात्रा दक्षिण इच्छर है। अदिश मुन्नाया आया</p> | |

दिना
 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
 जयपुर



31/2/18

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्या 67/2/18

सांवरमल पुत्र श्री जेठाराम, जाति जाट, उम्र 62 वर्ष, निवासीग्राम दीवानजी का बास,
तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।

अपीलान्त

बनाम

1 भंवरी देवी पत्नि महादेवाराम तथाकथित पुत्री नारायणराम जाति जाट
निवासीग्राम पोस्ट कटराथल तहसील व जिला सीकर राज0

रेस्पोडेन्ट

2 श्रीचन्द प्राकृतिक पिता कानाराम दत्तक पिता नारायण जाति जाट
निवासीग्राम सौला तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर

3 हल्का पटवारी पटवार हल्का गाडोदा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर

4 उप पंजीयक नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर

5 तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0

.....तरतीबी रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 89 ग्राम गाडोदा तहसील

लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 2-8-2018 उप तहसीलदार नेछवा तहसील

लक्ष्मणगढ जिला सीकर जो कि अन्तर्गत धारा 135(2) लैण्ड रेवन्यू एक्ट के

तहत तस्दीक किया गया अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवन्यू एक्ट।

मान्यवरजी,

नाइशार्फ

अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

(Handwritten signature)